शासकीय लाल चक्रधर शाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

नैक द्वारा B+ ग्रेड प्रदत्त

Website: www.lcscollege.com
Email:principal_lcs@rediffmail.com

अम्बागढ़ चौकी

जिला - मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.)
फोन नं. 07747–299004

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय,दुर्ग (छ.ग.) से संबद्ध

PROSPECTUS
2025-26

अनुक्रमणिका

1. महाविद्यालय का परिचय

2. प्राचार्य के कलम से

3. प्रवेश नियम एवं आवश्यक मार्गदर्शिक सिद्धांत

4. विषयवार एवं कक्षावार जानकारी

5. रैगिंग क्या है?

6. शुल्क संबंधी जानकारी

7. विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

8. उपस्थिति एवं अध्ययन संबंधी नियम

9. परीक्षा संबंधी नियम

10. अनुशासनहीनता के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में दंड का प्रावधान

11 सत्र 2025–26 का प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर

12 जनभागीदारी समिति के संबंध में जानकारी

13 पाठ्येत्तर क्रियाकलाप

14 कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

महाविद्यालय का परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य के मोहला–मानपुर–अं.चौकी जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा में 25 कि.मी. की दूरी पर आदिवासी अंचल मे शिवनाथ नदी के तट पर बसा अम्बागढ़ चौकी तहसील मुख्यालय है। प्रकृति की गोद में बसे इस आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से स्थानीय पूर्व राजवंश के उत्तराधिकारी राजा लाल भीष्मदेव शाह ने अपने पूज्य पिता स्व. श्री लाल चक्रधर शाह की स्मृति में भूमिदान करते हुए नगर के अन्य समाजसेवियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से सन् 1970 में महाविद्यालय की स्थापना की। 25 जुलाई सन् 1973 में महाविद्यालय का शासकीयकरण हुआ। प्रारंभ में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.ए. की कक्षाये संचालित थी सन 1984 में बी.एस.सी व स्नातकोत्तर हिन्दी, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र की कक्षाये प्रारंभ हुई । वर्तमान में महाविद्यालय का स्वयं का भवन है, जहाँ स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती है तथा वर्तमान शिक्षा सत्र 2024–25 से महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर की कक्षायें भी संचालित होने जा रही है ।

छात्रों में समाज सेवा की भावना जगाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एव रेडक्रास इकाई कार्यरत है, अनुशासन व एकता लाने हेतु छात्र – छात्राओं के लिए एन.सी.सी. इकाई कार्यरत् है । शरीर में ताजगी एवं स्फूर्ति व तन–मन को स्वस्थ रखने के लिये शारीरिक शिक्षा विभाग (क्रीड़ा विभाग) कार्यरत् है ।

विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है । प्रति वर्ष प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को अपनी–अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने पर प्रोत्साहन हेतु स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है । महाविद्यालय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हेतु पत्र–पत्रिकाओं, साहित्यों, शोधपत्रों, संदर्भ ग्रंथों एवं पुस्तकों से समृद्ध ग्रंथालय है । महाविद्यालय नित नये विकास को आयाम देते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

<u>प्राचार्य की कलम से</u>

प्रिय विद्यार्थियों,

नये शिक्षण सत्र 2025–26 के आरंभ होने पर आप सभी को मेंरी शुभकामनायें । महाविद्यालय परिवार के मुखिया के रूप में इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले समस्त छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों का मै हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ । महाविद्यालय एवं शिक्षा जगत से जुड़े समस्त क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि तृतीय चरण के नैक मूल्यांकन में महाविद्यालय को 2.67 सी.जी.पी.ए.के साथ **B^+** ग्रेड प्राप्त हुआ है । यह महाविद्यालय जिले का एक मात्र **B^+** ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है ।

सत्र 2024–25 महाविद्यालय के लिए उपलब्धियों से भरा रहा । महाविद्यालय छात्र–छात्राओं के सर्वागीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है । महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद योगा, **NCC, NSS,** रेडक्रास, आदि गतिविधियॉ संचालित हो रही है । महाविद्यालय के छात्र–छात्राऍ ग्रंथालय, वाचनालय, कम्प्यूटर लैब, इंग्लिश क्लब, मानक क्लब, जिमनेशियम, खेल मैदान आदि सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है ।

<u>सत्र 2024–25 से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति **NEP** 2020 लागू</u> है । इसके तहत सेमेस्टर प्रणाली से कक्षाऍ संचालित होती है ।

आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ....

(डॉ.के.आर.मंडावी)
प्राचार्य

(3) छत्तीसगढ़ शासन उच्चशिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2025–26

1 <u>प्रयुक्ति</u>

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2 <u>प्रवेश की तिथि</u>

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करनाः–** इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ''ऑनलाईन'' से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्र सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदनपत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–** स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घाोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देषों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र /पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :– सन 2025–26 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये है ऐसे आवेदक संबंधित वोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस. ई. के ऐसे आवेदक जिनका संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे! वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरणः– आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानान्तरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत् थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानान्तरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।''

2.3 **पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना** :– विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. <u>प्रवेश संख्या का निर्धारण</u>

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/ उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) के अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा । यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहाँ अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों के गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलानकर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर '' प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये ।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रुपसे वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4.5 स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र गुम जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज किया जाये । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/ अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देषों का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः–

(क)छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/ राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदको को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस. सी.(गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेशः–

(क) बीकॉम / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) /बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम. / एम. एस. सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी. एस. सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम. एस सी/ एम. ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान / अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी (Allowed To KeepTerm) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि संकाय नियमित प्रवेश :–**

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा ।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–** विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद में 55% अंक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडावर्ग 50%) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE / NCTE/ BAR COUNCIL OF INDIA / MEDICAL COUNCIL OF INDIAसे अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. <u>**समकक्ष परीक्षा**</u>

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOUको छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री /डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें ।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य / समस्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।''

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./ बी.कॉम/ बी.एस–सी/ बी.एच.एस–सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/ विषय समूहों में आवेदकों पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातकस्तर की प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/ विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/ गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विवि से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थानांतरण के प्रावधान संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा । तदनुसार स्नातक के तृतीय / पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थानांतरण पर आधारित होगा तथा सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियम अनुसार दिया जायेगा ।

7.4 वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु –विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक मात्र निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकेगी ।

8 **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा**

8.1 स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय में पूरक/ एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम/ द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. <u>प्रवेश हेतु अर्हताएं</u>

9.1 किसी भी महाविद्यालय /विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो. ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड फोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/ रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें ।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु सीमा** :–छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/ अशासकीय सेवा कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार स्नातक स्तर पर स्वाध्यायी विद्यार्थियों को विषम सेमेस्टर (तृतीय／पंचम／सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा ।

9.8 विदेशी नागरिकता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय ／बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में यूजीसी के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

10 प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार जोड़ कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक／ स्नातकोत्तर／ विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/ स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्ण नियमित／उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा । यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार संचालित 3／4 वार्षिक स्नातक अंतर्गत अगली कक्षाओं ／संमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश ／विनियम प्रावधानित नियमानुसार होगा तथापि प्राथमिकता नियमित ／ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/ तहसीलों/ जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. <u>आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा</u>

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थातः–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहां अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेष दिया जायेगा । आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और की पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये 5% स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी। शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी। .

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा।) प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने वाले पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा आश्रितों को 5% तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10% की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये ।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15/04/2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि

'' We direct the centre and the State Government to take Steps to treat them associally and educationally backward classes of citizens and extent all kinds of reservation incases of admission in educational institutions and for public appoinments- '' का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. <u>अधिभार</u>

अधिमार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स**

स्काउट शब्द को स्काउट्स/ गाइड्स/ रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे ।

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट – 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स – 03प्रतिशत

(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स – 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों का – 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ ग के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कंटिन्जेन्व में भाग लेने वाले विद्यार्थी को – 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स – 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स – 10 प्रतिशत

(झ) छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट – 10 प्रतिशत

(य)ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट – 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को –15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएंः–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्चशिक्षा संचालनालय आयोजित अन्तर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्तटीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तक्षेंत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रिय प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करनेवाले को – 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को —15 प्रतिशत

(ख) द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को—12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य साइंस एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/ सांस्कृतिक/ साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्य को — 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग. शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छ.ग. / मप्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को —12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन—छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी के राष्ट्रीय के स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ऑलम्पियाड/ एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी षिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि—

1. इस प्रकार के प्रमाण—पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

2. यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण—पत्र या स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण—पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे । स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण—पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे ।

14. <u>संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन</u>

स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय /ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका

गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा । महाविद्यालय में स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 15 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी । यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय /संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो ।

15. शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा । शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी. एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे । अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति 3 माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्यपूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे । संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16. विशेष

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जान बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार 1 माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण मार्गदर्शन आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।

16.6 इस मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्चशिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसन /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

छात्र एवं छात्राओं को आवेदन महाविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। जिसे कार्यालय में आवश्यक शुल्क देने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्न करना आवश्यक है । इसके अभाव में आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र की मूलप्रति (केवल उन्हीं आवेदक के लिए जो गत वर्ष महाविद्यालय के नियमित छात्र नहीं थे।
2. नये छात्र–छात्राओं के लिये पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियां (एक प्रति आवेदन पत्र के लिये निर्धारित स्थान पर चिपकाए तथा दूसरी प्रति परिचय पत्र के लिए यूपिन से या आलपिन से लगायें) गत वर्ष के छात्र अपना परिचय–पत्र संलग्न करें।
3. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र, अंकसूची की प्रमाणित कापी भाग–1 में प्रवेश हेतु।
4. अंकसूची की फोटोस्टेट कापी
5. चरित्र संबंधी नवीनतम 2 प्रमाणपत्र (2 भिन्न व्यक्तियों से लिए गए) ये प्रमाण पत्र केवल उन्हीं छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाये जिन्होंने गत परीक्षा स्वाध्यायी (प्राईवेट) परीक्षा के रुप में उत्तीर्ण की है।
6. नियोक्ता का प्रमाणपत्र (केवल उन्हीं छात्र / छात्राओं के लिये आवश्यक है जो सेवारत है)
7. प्रवजन (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक किसी अन्य विश्वविद्यालय /बोर्ड से आया है।

8. अनुसूचित जाति/जनजाति /पिछड़ावर्ग/ विकलांग छात्र /माता पिता के मध्यप्रदेश शासन में द्वितीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने का प्रमाणपत्र।

9. मृत शासकीय कर्मचारी के पुत्र होने का प्रमाणपत्र।

10. गैप होने पर छात्र का शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा। (गैप व**र्षों** के लिये)

4. विषयवार एवं कक्षावार जानकारी

महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/ उपभोग सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिये निम्नानुसार प्रवेश संख्या निर्धारित हैः–

महाविद्यालय में संचालित विषयवार एवं कक्षावार जानकारी

स.क्र.	कक्षा	विषय	प्रवेशसंख्या
1	बी.ए.	आधार पाठ्यक्रम–हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन	350
		राजनीति शास्त्र, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास	
		गृह विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य	40+30+80
2	बी.एस.सी.	आधार पाठ्यक्रम–हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन,रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र	160
		आधार पाठ्यक्रम–हिन्दीभाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित	60
3	बी.कॉम.	आधार पाठ्यक्रम–हिन्दीभाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण सभी अनिवार्य विषय	75
4	एम.ए.	हिन्दी	35
5	एम.ए.	राजनीति शास्त्र	35
6	एम.ए.	अर्थशास्त्र	35
7	एम.ए.	इतिहास	30
8	एम.एस.सी.	रसायन शास्त्र	30
9	एम.एस.सी.	प्राणी शास्त्र	30
10	एम.एस.सी.	वनस्पति शास्त्र	30
11	एम.कॉम.	वणिज्य	30

स्ववित्तीय मद से संचालित

स.क्र.	कक्षा	विषय	प्रवेशसंख्या
1	बी.ए.	समाजशास्त्र	80

1. वैकल्पिक विषयः– निम्नलिखित विषयों में से कोई भी 3 विषयों का चयन करना होगा आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा ।

विषय समूहः– 1. हिन्दी साहित्य 2. इतिहास/अंग्रेजी साहित्य 3. राजनीति शास्त्र / गृहविज्ञान 4. अर्थशास्त्र 5. समाज शास्त्र 6. भूगोल

टीपः– बी.ए.भाग के विभिन्न विषयों में उपलब्ध स्थान के अनुसार प्रवेश गुणानुक्रम आधार पर दिया जायेगा ।

बी.एस.सी. भाग–एक वैकल्पिक विषय–निम्नलिखित समूहों में से किसी एक समूह का चयन करना होगा।

विषय समूह– 1 भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित

2 रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र

बी.कॉम. –सभी अनिवार्य विषय

स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रणाली– 1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्यापन सेमेस्टर प्रणाली से सम्पन्न होगा जिसमें 4 सेमेस्टर होगें । 4 सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्ण करना आवश्यक है । महाविद्यालय में निम्नांकित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है ।

कला संकायः–	1. हिन्दी	2. राजनीति शास्त्र	3. अर्थशास्त्र	4. इतिहास
विज्ञान संकायः–	1. रसायन शास्त्र	2. प्राणीशास्त्र,	3. वनस्पति शास्त्र	
वाणिज्य संकायः–	1. वाणिज्य			

5. रैंगिंग के अंतर्गत

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/ छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/ सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियमनं. 1995). अनुच्छेछ 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार हैः–किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना. जो मानव–मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरित हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमका कर गलत ढंग से रोककर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की

धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने , चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना ।

रैंगिंग का स्वरुपः–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती हैः–

स्पष्ट आदेशः–

- ❖ सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए
- ❖ सामूहिक कवायद करने के लिए
- ❖ सीनियरों के क्लास–नोट्स उतारने के लिए
- ❖ अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- ❖ सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
- ❖ अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए
- ❖ नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
- ❖ शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
- ❖ कामुक संकेतार्थ वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- ❖ नंगा करना, चुंबन लेना आदि।
- ❖ अन्य अश्लीलताएं करना ।

उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैंगिंग के विकृत रुपों से युक्त हैं।

रैंगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड

1- प्रवेश निरस्त किया जाना ।

2- कक्षा /छात्रावास से निष्कासित किया जाना ।

3- छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना ।

4- परीक्षाओं से वंचित करना ।

5- परीक्षा परिणाम रोकना ।

6- राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध ।

7- संस्था से रेस्टीगेट किया जाना ।

8- आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/–तक।

6- शुल्क संबंधी जानकारी

शासकीय शुल्क	वार्षिक
1. शिक्षण शुल्क	
(क) बी.एस.सी. भाग–1, 2 एवं 3	115.00
(ख) बी.ए.भाग– 1, 2 एवं 3	115.00
(ग) बी.कॉम. भाग– 1, 2 एवं 3	115.00
(घ) एम.ए. पूर्व/अंतिम	126.00
(ङ) एम.एस.सी. पूर्व/ अंतिम	126.00
(च) विज्ञान संकाय प्रयोगशाला शुल्क	40.00
(छ) गृह विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	40.00
अशासकीय शुल्क	
1. सम्मिलित निधि शुल्क	120.00
2. स्टेशनरी शुल्क	50.00
3. प्रवेश शुल्क	5.00
4. परिचय पत्र	50.00
5. विकास शुल्क महाविद्यालयीन	100.00
6. निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	10.00
7. कामन रुम (छात्र / छात्रा)	50.00
8. धरोहर राशि स्नातक	60.00
9. धरोहर राशि स्नातकोत्तर	100.00
10. मेडिकल	5.00
11. शारीरिक कल्याण	150.00
12. आंतरिक मूल्यांकन	100.00
13. छात्र कल्याण	20.00
14. एलुमुनाई शुल्क	50.00
15. सायकल स्टैड	50.00
16. रेडक्रास सोसायटी (RCS)	40.00
जनभागीदारी समिति शुल्क	**500.00**

स्ववित्तीय मद से संचालित पाठ्यक्रम का शुल्क

1. बी.ए. समाजशास्त्र (प्रतिवर्ष)	2500.00

टीपः– 1. स्ववित्तीय प्रवेश शुल्क प्रतिवर्ष एक बार में ही जमा करना अनिवार्य है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क 50.00 रुपये ।

नोटः–

1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन/ हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है ।
2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क सम्पूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य है, महाविद्यालय में प्रवेश तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है । केवल छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शासकीय संस्था में स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि के लिए छात्र शिक्षण शुल्क का भुगतान कर चुका है वह शुल्क पुनः नहीं देना होगा। ऐसे छात्र को, महाविद्यालय के शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. पूरक प्राप्त छात्रों को प्रवेश के समय तीन माह का अध्यापन शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क संबंधी रियायतें:–

शुल्क रियायत की पात्रता केवल पूर्णकालिक छात्र को है–

(अ) छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति शासन द्वारा है ।

(ब) सभी वर्ग की छात्राएं शिक्षण शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क से मुक्त होगी ।

(स) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण शुल्क की मुक्ति है ।

(द) द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्नातक स्तर तक शिक्षण शुल्क मुक्त है ।

(इ) दो से अधिक भाई–बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययनरत हो तो बड़े को पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा शेष को आधा शिक्षण शुल्क देय होगा । अन्य शुल्क सभी को देय होगा ।

(फ) विद्यार्थी सहायता कोष से सभी निर्धन छात्रों (जिसका चयन सहायता कोष समिति द्वारा होगा) को आर्थिक सहायता, शुल्क पुस्तक आदि उपलब्ध होगी ।

पुस्तकालय

(अ) महाविद्यालय के पुस्तकालय से नियमित छात्रों को पुस्तक निर्गमित होगी। पुस्तके समय सीमा में लौटाना आवश्यक होगा। अन्यथा एक रूपया प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगेगा।

(ब) पुस्तकालय की पुस्तको का रख–रखाव की संपूर्ण जवाबदारी छात्र की होगी । निर्गमन के बाद विकृत होने पर पुस्तक या तो नई वसूली जायेगी अथवा वर्तमान मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य तथा पांच रूपये अर्थदण्ड वसूला जायेगा ।

(स) अ.जा./ अ.ज.जा. के छात्र/छात्राओं को बुकबैंक योजनान्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त निःशुल्क पुस्तक निर्गमित किया जायेगा ।

7. विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

सामान्य नियम–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों को अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार , असंसदीय व्यवहार का प्रयोग , गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रो का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दिवालो को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैला कर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा ।

8. उपस्थिति एवं अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी/ एन.एस.एस. में भी लागू होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा ।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाईयों के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांति पूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़ फोड. करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।

9. परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं एवं प्री फाइनल में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

10. अनुशासनहीनता के लिये वि.वि. अधिनियम में दण्ड का प्रावधान

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान हैः– (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्टीगेशन

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

शैक्षणिक सत्र 2025–26 का अकादमिक कैलेण्डर
– सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम –

क्र	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I/III/V/VII		सेमेस्टर II/IV/VI/VIII	
1	प्रवेश प्रक्रियाः	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वध्यायी विद्यार्थियों हेतु	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वध्यायी विद्यार्थियों हेतु
	प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	पंजीयन 31 अगस्त 2025 तक	———	———
	कुलपति की अनुमति से	14 अगस्त 2025 तक	———	———	———
	अन्य सेमेस्टर (III/V/VI)	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	———	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	———
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से	———	02 जनवरी 2026	———
3	महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु इन्डक्शन कार्यकम का आयोजन	20 से 31 जुलाई 2025 के मध्य	15 सितम्बर 2025 तक	10 से 15 जनवरी 2026 के मध्य	30 जनवरी 2026 तक
4	विद्यार्थियों द्वारा GE / DSE & VAC/ SEC का चयन	05 अगस्त 2025 तक	25 सितम्बर 2025 तक	15 जनवरी 2026 तक	30 जनवरी 2026 तक
5	GE /DSE & VAC/ SEC कोर्सवार विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जाना	20 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
6	सतत् आंतरिक मूल्यांकन(CIA): असाइनमेन्ट का आबंटन	25 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
7	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): प्रथम टेस्ट / क्विज	8, 9, 10, 11, 12 सितम्बर, 2025	10 अक्टूबर 2025 तक	24,25,26,27,28 फरवरी, 2026	10 मार्च 2026 तक
8	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): द्वितीय टेस्ट / क्विज	13, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर, 2025	10 नवम्बर 2025 तक	06,07,08,09,10 अप्रैल, 2026	10 अप्रैल 26 तक

क्र	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I/III/V/VII		सेमेस्टर II/IV/VI/VIII	
9	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): असाइनमेंट का मूल्यांकन	10 नवम्बर 2025 तक	20 नवम्बर 2025 तक	15 अप्रैल 2026 तक	24 अप्रैल 26 तक
10	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	10 से 20 नवम्बर 2025	10 से 20 नवम्बर 2025	15 से 24 अप्रैल 2026 तक	15 से 24 अप्रैल 2026 तक
11	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 से 27 नवम्बर 2025	———	24 से 30 अप्रैल 2026 तक	———
12	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): प्राप्तांको का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	22 नवम्बर 2025 तक	22 नवम्बर 2025 तक	28 अप्रैल 2026 तक	28 अप्रैल 2026 तक
13	अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE):	28 नवम्बर 2025 से		04 मई 2026 से	

— वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम —

क्र.	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	तृतीय वर्ष हेतु तिथियाँ
1.	प्रवेश प्रक्रियाः	31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से
3.	वर्षिक परीक्षाओं का आयोजन	01 मार्च 2026 से
4.	वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा	10 जून 2026 तक
5	पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा	31 जुलाई 2026 से
6	पूरक परीक्षा का आयोजन	यथासम्भव न्यूनतम अवधि में
7	पूरक परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा	15 सितम्बर 2026 तक

शैक्षणिक सत्र 2025–26 का अकादमिक कैलेण्डर
— सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम —

क्र.	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I / III	सेमेस्टर II / IV
1.	प्रवेश प्रक्रियाः प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	
		16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	———
	कुलपति की अनुमति से	14 अगस्त 2025 तक	———
	तृतीय सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत 10 दिन तक
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से	02 जनवरी 2026
3.	आंतरिक मूल्यांकनरू असाइनमेन्ट / सेमिनार / प्रोजेक्ट का आबंटन	25 अगस्त 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक
4.	आंतरिक मूल्यांकन — प्रथम टेस्ट	8, 9, 10, 11, 12 सितम्बर, 2025	24,25,26,27,28 फरवरी, 2026
5.	आंतरिक मूल्यांकन— द्वितीय टेस्ट	13, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर, 2025	06,07,08,09,10 अप्रैल, 2026

6.	आंतरिक मूल्यांकनः असाइनमेन्ट /सेमिनार /प्रोजेक्ट का मूल्यांकन	10 नवम्बर 2025 तक	15 अप्रैल 2026 तक
7.	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	10 से 20 नवम्बर 2025	15 से 24 अप्रैल 2026 तक
8.	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 से 27 नवम्बर 2025	24 से 30 अप्रैल 2026 तक
9.	आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांको का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	22 नवम्बर 2025 तक	28 अप्रैल 2026 तक
10.	अंत सेमेस्टर परीक्षा	28 नवम्बर 2025 से	04 मई 2026 से

पी–एच.डी. कार्यक्रम हेतु सत्रीय अकादमिक कैलेण्डर

क्र	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	निर्धारित तिथि/अवधि
1	पी–एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना	31 जुलाई तक
2	पी–एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजन	14 अगस्त तक
3	पी–एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा	30 अगस्त तक
4	विभागीय शोध समिति की बैठक का आयोजन	30 सितम्बर तक
5	पी–एच.डी. पाठक्रम में प्रवेश	30 अक्टूबर तक
6	पी–एच.डी. पाठक्रम का कोर्सवर्क अध्यापन कार्य	नवंबर से मार्च
7	कोर्सवर्क की परीक्षा का आयोजन	15 मई से 30 मई के मध्य
8	कोर्सवर्क की परीक्षा परीणाम की घोषणा	30 जून तक

—— सत्रीय अन्य गतिविधियॉं ——

क्र	गतिविधियां/विवरण	निर्धारित तिथि/अवधि
1	छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	शासन के निर्देशानुसार
2	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियॉं –	
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं आरम्भ किया जाना	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025 से
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन	अंतिम सप्ताह नवम्बर 2025 तक
	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का वार्षिक आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026
3	एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियॉं –	
	वृक्षारोपण कार्यक्रम	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025
	एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	प्रथम सप्ताह नवम्बर 2025
	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण का आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026
4	विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षान्त समारोह का आयेजन	जनवरी – फरवरी 2026
5	अवकाश –	
	दशहरा अवकाश – 03 दिन	29 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2025 तक
	दीपावली अवकाश – 05 दिन	17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक
	शीतकालीन अवकाश – 03 दिन	26 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2025 तक
	ग्रीष्मकालीन अवकाश – 30 दिन	16 मई 2026 से 14 जून 2026

नोटः—अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो ।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रताः—

1. प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है बिना इसके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
3. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रो का उपस्थित माना जाये।
4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जाये।
6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

<u>जयंती एवं महत्वपूर्ण दिवस</u>

1.	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून 2025
2.	स्वतंत्रता दिवस एवं वृक्षारोपण दिवस	15 अगस्त 2025
3.	सद्भावना **दिवस**	20 अगस्त 2025
4.	राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त 2025
5.	शिक्षक **दिवस**	**05 सितम्बर 2025**
6.	**अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस**	**08 सितम्बर 2025**
7.	हिन्दी **दिवस**	**14 सितम्बर 2025**
8.	**राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस**	**24 सितम्बर 2025**
9.	गांधी जयंती	**02 अक्टूबर 2025**
10.	**राष्ट्रीय एकता दिवस**	**31 अक्टूबर 2025**
11.	कौमी **एकता सप्ताह**	**19 से 25 नवम्बर 2025**
12.	संविधान दिवस	26 नवम्बर 2025
13.	एन.सी.सी. दिवस	नवम्बर के अंतिम सप्ताह के रविवार
14.	विश्व एड्स **दिवस**	**01 दिसम्बर 2025**
15.	अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार **दिवस**	**10 दिसम्बर 2025**
16.	राष्ट्रीय **युवा दिवस**	**12 जनवरी 2026**
17.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस	25 जनवरी 2026
18.	गणतंत्र **दिवस**	**26 जनवरी 2026**

19. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस — 28 फरवरी 2026

20. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस — 08 मार्च 2026

21. विश्व पर्यावरण दिवस — 05 जून 2026

अन्य जानकारी एवं निर्देश

1. प्रत्येक छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
2. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र को वार्षिक परीक्षा से वंचित किया जायेगा ।
3. शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह के सोमवार को होना है, एवं रक्त परीक्षण किया जायेगा ।
4. वाचनालय की व्यवस्था ग्रंथालय में की जायेगी ।
5. '' इंगलिश क्लब '' अंग्रेजी माध्यम के छात्र/छात्राओं की समिति गठित की जायेगी ।
6. पाठ्येत्तर सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षण सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को होगा ।
7. स्नातकोत्तर परि**षद का गठन 01 सितम्बर 2024 से 15 सितम्बर 2024 तक ।**
8. **भूतपूर्व छात्रों की समिति का बैठक प्रत्येक 2 माह के अंतराल में माह के अंतिम सप्ताह के शनिवार ।**
9. **पालकों की समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह के अंतिम शनिवार को ।**
10. आई.क्यू.ए.सी. (आंतरिक गुणवत्ता आश्वाषन परिषद) सेमीनार, वर्कशॉप, शैक्षणिक भ्रमण, लघुशोध, पुरातात्विक धरोहर संरक्षण।

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण– 6 घण्टे अध्ययन– अध्यापनकार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिलहै।

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

4. समस्त प्रकार की बैठक / स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जावे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे ।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्पडेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ प्रदान करेंगे।
7. यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।
8. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये ।

12. जनभागीदारी समिति के संबंध में जानकारी

महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु शासन द्वारा जनभागीदारी समिति का गठन किया जाता है । जिससे समय–समय पर महाविद्यालय के विकास में योगदान प्राप्त होता है।

13. पाठ्येत्तर क्रियाकलाप

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)

समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लक्ष्य को लेकर महाविद्यालय में सन् 1986 से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कार्यरत है। इस इकाई में प्रतिवर्ष 100 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है जो समाज सेवा के क्षेत्र में रूचि रखते हैं। एक दिवसीय शिविर, नियमित गतिविधि एवं विशेष दिवसीय शिविर के माध्यम से गोद लिए ग्राम या अन्य ग्राम में रचनात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।सामाजिक कुरीतियों को रोकने एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे– टीकाकरण, पर्यावरण कार्यक्रम, एडस कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, साक्षरता कार्यक्रम आदि में अपनी भूमिका निभाता है यह दो वर्षीय कार्य योजना है, छात्र–छात्राओं को 1 वर्ष में 120 दिन में 240 घंटे पूर्ण करना होता है, तत्पश्चात् उन्हें (बी) प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है, इसे पूर्ण करने के पश्चात् तीसरे वर्ष में (सी) प्रमाण पत्र की पात्रता होती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को इस योजना से जुड़कर समाज सेवा के प्रति सच्चे मन से कार्य करना चाहिए व बढ़ चढ़कर योजना में भाग लेना चाहिए।

राष्ट्रीय छात्र सेना (National Cadet Core)

विद्यार्थियों में अनुशासन व एकता जगाने हेतु 37CG,BN,NCC दुर्ग द्वारा महाविद्यालय में सत्र 1998 से राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) कार्यरत है. इकाई प्रारंभ में 60 छात्रों का एक यूनिट

खोला गया, सत्र 2004 में छात्राओं के लिए भी (26) छात्राओं का यूनिट प्रारंभ किया गया। एन.सी.सी. भारत का सबसे बडा युवा संगठन है, इसमें निरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक क्रियाकलाप, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रीय सेवा, अनुशासन, एकता व बंधुत्व की भावना समाहित है, इस मार्ग में चलकर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त करता है। प्रत्येक सप्ताह 2 परेड का आयोजन होता है साथ ही सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी भागीदारी अनिवार्य हैं। समय–समय पर विभिन्न प्रकार के कैम्पों का आयोजन किया जाता है जिसमें विद्यार्थियों की सहभागिता नितांत आवश्यक है।

क्रीड़ा विभाग (Sports)

स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है, यह पूर्णतः सत्य है महाविद्यालय के प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के बौध्दिक, शारीरिक, मानसिक विकास हेतु खेलकूद विभाग कार्यरत हैं। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेने हेतु प्रशिक्षण व अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थी अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर अंर्तमहाविद्यालयीन, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी प्रतिपादित करते है। विद्यार्थी महाविद्यालय के खेल मैदान में अभ्यास करके अपनी प्रतिभा का उजागर कर सकते है। महाविद्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं को विभिन्न खेलों से संबंधित सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती है जिसका उपयोग कर विद्यार्थी खेलों में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। शासन द्वारा विद्यार्थियों को खेलकूद में हिस्सा लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इससे छात्रों में खेल के प्रति रूचि बढेगी, स्वस्थ्य तन व मन के साथ अध्ययन कार्य कर सकेगा। महाविद्यालय में जिमनेशियम का उदघाटन 03/06/2022 को हुआ एवं छात्रों के लिए विभिन्न खेलकूद जैसे :–हॉकी, फुटबाल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, जिम एवं एथलेटिक्स इत्यादि की सुविधा है।

रेडक्रासः 23 अगस्त 2006

महाविद्यालय में रेडक्रास सोसायटी का गठन 23 अगस्त 2006 में किया गया । रेडक्रास सोसायटी के अंतर्गत प्रति वर्ष रेडरिबन क्लब की स्थापना की जाती है प्रारंभ में रेडरिबन क्लब के सदस्यों की संख्या 25 थी जिसे 2008–09 में बढ़ाकर 80 कर दिया गया । रेडरिबन क्लब के सदस्य छात्र गाँव–गाँव में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कुरीतियों से संबंधित शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर आम लोगों को आदर्श नागरिक बनाने में अपना योगदान करते है।

छात्रवृत्तियां

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां दी जावेगी।

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2. बी. पी. एल. छात्रवृत्ति 3. राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति

4. एकीकृत छात्रवृत्ति 5. निःशक्तजन छात्रवृत्ति 6. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

पोष्ट मैट्रिक छात्रावास

महाविद्यालय में 30 छात्रों के आवास के लिये छात्रावास है। ग्रामीण अंचल से आए छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। छात्रावास के लिये शासन एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षण, आवेदन पत्र एवं शुल्क की व्यवस्था हैं। छात्रों को छात्रावास के नियमों का पालन करना होगा। वर्तमान में छात्रावास का संचालन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास द्वारा किया जा रहा हैं।

विशेष–

1. महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या एवं मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
2. प्रवेश के नियमों में छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

स्वर्ण पदक पुरस्कारः–

दानदाताओं द्वारा महाविद्यालय में अपने अपने कक्षाओ में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्र/छात्राओं को स्वर्ण मंडित पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है, 1994 में एक से शुरू होकर वर्तमान में पदक दान दाताओं की संख्या में वृद्धि हुई जिनकी सूची निम्नानुसार–

स्वर्ण पदक दान दाताओं की सूची

क्रं.	कक्षा	दानदाता का नाम	संबंध	(....) की स्मृतिमें
1	2	4	5	6
1	बी.ए. भाग– एक	श्री लादू राम शर्मा, वार्ड नं. 8, अम्बागढ़ चौकी	पत्नि	स्व. श्रीमति रामप्यारी शर्मा
2	बी.ए. भाग–दो	श्री अवधेष कुमार मिश्रा, वार्डनं. 9, अम्बागढ़ चौकी	पिता	स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा
3	बी.ए. भाग–तीन	डॉ. पं. रामचन्द्र पाण्डेय, वार्डनं. 15, अम्बागढ़ चौकी	पिता	स्व. पं. मथुरा प्रसाद पाण्डेय
4	बी.एस.सी. भाग–एक (बायो)	श्री धीरज कुमार झा, वार्डनं. 13, अम्बागढ़ चौकी	दादा	स्व. श्री अभिनवानंद झा
5	बी.एस.सी. भाग–एक (गणित)	श्री धीरज कुमार झा, वार्डनं. 13, अम्बागढ़ चौकी	माता, पिता	स्व. श्रीमती अनुराधा झा स्व. श्री विद्यानंद झा
6	बी.एस.सी. भाग–दो (बायो)	श्री ओंकारनाथ त्रिपाठी, वार्डनं. 15, अम्बागढ़ चौकी	पिता	स्व. श्री बालकृष्ण त्रिपाठी
7	बी.एस.सी. भाग–दो (गणित)	श्री खेमु राम रावटे मोंगरा कालोनी डोगरगांव	भाई	स्व. श्री यादव राम रावटे
8	बी.एस.सी. भाग–तीन (बायो)	श्री जितेन्द्र मेश्राम, वार्डनं. 01, अम्बागढ़ चौकी	माता	स्व. श्रीमति बीठा बाई मेश्राम
9	बी.एस.सी. भाग–तीन (गणित)	श्रीमती चंद्रिका मंडावी अम्बागंढ़ चौकी	सुपुत्र	स्व. श्री दीपक मंडावी

10	बी.कॉम भाग– एक	डॉ. पं. रामचन्द्र पाण्डेय, वार्ड नं. 15, अम्बागढ़ चौकी	सुपुत्र	स्व. श्री राजेन्द्र पाण्डेय
11	बी.कॉम भाग–दो	श्रीमति कमलेष सारस्वत, वार्डनं. 01, अम्बागढ़ चौकी	सास	स्व. श्रीमति सोमादेवी सारस्वत
12	बी.कॉम भाग–तीन	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद सारस्वत, वार्डनं. 01, अम्बागढ़ चौकी	पिता	स्व. श्री भूदेव प्रसाद सारस्वत
13	एम.ए. पूर्व हिन्दी	डॉ. पं. रामचन्द्र पाण्डेय, वार्ड नं. 15, अम्बागढ़ चौकी	सुपुत्र	स्व. श्री राजेन्द्र पाण्डेय
14	एम.ए. अंतिम हिन्दी	श्री ओंकारनाथ त्रिपाठी, वार्ड नं. 15, अम्बागढ़ चौकी	पत्नि	स्व. श्रीमति षकुन्तला देवी त्रिपाठी
15	एम.ए. पूर्व अर्थशास्त्र	डॉ. पं. रामचन्द्र पाण्डेय, वार्डनं. 15, अम्बागढ़ चौकी	पत्नि	स्व. श्रीमति उर्मिला देवी पाण्डेय
16	एम.ए. अंतिम अर्थशास्त्र	श्री दीनदयाल पांडेय वार्ड नं.–8, मेन रोड, डोंगरगांव	–	स्वयं के नाम पर
17	एम.ए. पूर्व राजनीति शास्त्र	डॉ. पं. रामचन्द्र पाण्डेय, वार्डनं. 15, अम्बागढ़ चौकी	माता	स्व. श्रीमति पार्वती देवी पाण्डेय
18	एम.ए. अंतिम राजनीति शास्त्र	डॉ. नंद कुमार लहरे सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, वार्ड नं. 11, मटिया रोड डोंगरगांव	माता	स्व. श्रीमति सुरजा देवी लहरे
19	एम.ए. पूर्व इतिहास	श्री जय राम परतेती सहायक प्राध्यापक इतिहास, वार्डनं. 4, अम्बागंढ़ चौकी	पिता	स्व. श्री सहानी राम परतेती
20	एम.ए. अंतिम इतिहास	डॉ. के. आर. मंडावी अम्बागंढ़ चौकी	पिता	स्व.श्री प्राण सिंह मंडावी
21	एम.एस.सी. पूर्व रसायनशास्त्र	श्री साजिद अख्तर भारत ट्रेव्हल्स राजनांदगांव	–	स्व. श्री अतुल पाण्डे
22	एम.एस.सी. अंतिम रसायनशास्त्र	श्री जय राम परतेती सहायक प्राध्यापक इतिहास, वार्डनं. 4, अम्बागंढ़ चौकी	सुपुत्र	स्व. श्री निखिल परतेती
23	एम.एस.सी.पूर्व प्राणीशास्त्र	श्री धीरज कुमार झा, वार्ड नं. 13, अम्बागढ़ चौकी	दादी	स्व. श्रीमती सरला झा
24	एम.एस.सी. अंतिम प्राणी शास्त्र	श्री एम.एल. श्रीवास्तव अम्बागंढ़ चौकी	माता	स्व. श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव
25	एम.एस.सी. पूर्व वनस्पति शास्त्र	श्रीमती पुष्पा लाटा अम्बागंढ़ चौकी	पति	स्व. श्री जुगल किशोर लाटा
26	एम.एस.सी. अंतिम वनस्पतिशास्त्र	श्री एम.एल. श्रीवास्तव अम्बागंढ़ चौकी	भाभी	स्व. श्रीमती केशर बाई श्रीवास्तव
27	एम.कॉम. पूर्व	श्रीमती अंजली कुंजाम सहायक प्राध्यापक(अंग्रेजी) अं.चौकी	दादा–दादी	स्व.पीलूराम कोर्राम, स्व.जैन बाई कोर्राम

14. कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची –

शैक्षणिक स्टाफ

क्रं.	पदनाम	विषय	स्वीकृत संख्या	अधिकारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थापना दिनांक	मो . न .
1	प्राचार्य		01	डॉ. कीता राम मंडावी	03.08.2016	9425593004
2	प्राध्यापक	हिन्दी	01	रिक्त		
		राजनीति विज्ञान	01	रिक्त		
		अर्थशास्त्र	01	रिक्त		
		इतिहास	01	रिक्त		
		प्राणीशास्त्र	01	रिक्त		
		वनस्पतिशास्त्र	01	श्री पंकज कुमार साहू (सहा. प्रा.)		
		रसायनशास्त्र	01	रिक्त		
		वाणिज्य	01	रिक्त		
3	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	02	रिक्त		
				रिक्त		
		अंग्रेजी	03	डॉ.निरेश कुमार कुर्रे	22.11.2012	8103716201
				श्रीमती अंजली कुंजाम	30.04.2022	9301034214
				रिक्त		
		राजनीति विज्ञान	02	डॉ. अमृत लाल चन्द्रभाष	04.09.2017	9981720388
				रिक्त		
		इतिहास	03	श्री जे.आर. परतेती	29.10.2002	7354644646
				रिक्त		
				रिक्त		
		अर्थशास्त्र	02	श्री ओम प्रकाश राणा	27.01.2022	7389626137
				रिक्त		
		गृहविज्ञान	01	रिक्त		
		प्राणी शास्त्र	02	रिक्त		
				रिक्त		
		वनस्पति शास्त्र	02	डॉ. जे.पी.सूर्यवंशी	30.03.2022	9827329975
				श्री चंद्रेश साहू	12.03.2024	9993966137
		भौतिक शास्त्र	01	श्री धनेश कुमार बंजारे	14.05.2022	6260489404
		गणित	01	श्री एस.के. देवांगन	01.10.2022	9479051921
		रसायन शास्त्र	02	डॉ. मेमन साहू	25.04.2022	6261017322
				रिक्त		
		वाणिज्य	03	रिक्त		
				रिक्त		
				रिक्त		
		भूगोल	01	रिक्त		
4	क्रीड़ा अधिकारी	क्रीड़ा शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान	01	श्री मोरध्वज सोनवानी	27.10.2021	9770184951
5	ग्रंथपाल	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	01	श्रीमती सुमित्रा सोनवानी	07.10.2021	7771099785

अशैक्षणिक स्टाफ

क्रं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थ दिनांक	मो . न .
1	सहायक ग्रेड–1	01	रिक्त		
2	सहायक ग्रेड–2	01	श्री ए. के. वर्मा	14.10.2022	9424133933
3	सहायक ग्रेड–3	02	श्री धीरेन्द्र यादव	03.04.2025	7962964096
			रिक्त		
4	प्रयोगशाला तकनीशियन	06	श्री धीरज झा	19.12.1988	9406538388
			श्री शरद लाटा	15.02.2022	9827176947
			शेख वहीद सिद्धीकी	14.07.2023	9691410766
			श्री हारेन्द्र कश्यप	17.01.2025	9691547410
			रिक्त		
			रिक्त		
5	प्रयोगशाला परिचारक	07	रिक्त		
			रिक्त		
			रिक्त		
			रिक्त		
			रिक्त		
			रिक्त		
			रिक्त		
6	बुकलिफ्टर	01	श्री बलराम मंडावी	27.05.2014	9691410715
7	भृत्य	02	श्री तुशांत निषाद	08.12.2016	9754851138
			रिक्त		
8	चौकीदार	01	श्री कौशल प्रसाद	13.04.2016	9752676453
9	फर्राश	01	रिक्त		
10	स्वच्छक (कलेक्टर दर)	01	रिक्त		

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापकों/अधिकारियों के मोबाइल नंबर :–

क्र.	प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक का नाम	पद	मोबाईल नं.	
1	श्री जे.आर.परतेती	सहायक प्राध्यापक (इतिहास)	7354644646	
2	डॉ निरेश कुर्रे	सहायक प्राध्यापक(अंग्रेजी)	8103716201	
3	डॉ ए.एल.चंद्रभाष	सहायक प्राध्यापक (राज.शास्त्र)	9981720388	
4	श्री ओ.पी.राणा	सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)	7389626137	
5	डॉ.जे.पी.सूर्यवंशी	सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र)	9827329975	
6	डॉ.के.आर.रावटे	सहायक प्राध्यापक (इतिहास)	7974989370	
7	डॉ. मेमन साहू	सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र)	6261017322	
8	श्री डी.के.बंजारे	सहायक प्राध्यापक (भौतिक)	7746077068	
9	श्रीमती अंजली कुंजाम	सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)	7354862848	
10	श्री एस.के.देवांगन	सहायक प्राध्यापक (गणित)	9479051921	
11	श्री चंद्रेश	सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र)	9993966137	
12	श्री पंकज कुमार	सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र)	8778064923	
13	श्री मोरध्वज सोनवानी	क्रीड़ा अधिकारी	9039386862	
14	श्रीमती सुमित्रा सोनवानी	ग्रंथपाल	7771099895	

प्राचार्य
शा.ला.च.शा.महाविद्याल
अम्बागढ़ चौकी

Activities

राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय सेमीनार

स्वतंत्रता दिवस

स्वास्थ्य परीक्षण

रक्तदान शिविर

जागरूकता रैली

38 C.G. B.N. N.C.C. RAJNANDGAON
आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है.
NATIONAL CADET CORPS
ALL N.C.C. CADET L.C.S. COLLAGE A. CHOWKI

हेलमेट जन-जागरूकता रैली
38 C.G. B.N. N.C.C. RAJNANDGAON
NATINAL CADET CORPS
GPS Map Camera
Ambagarh Chowki, Chhattisgarh, India
QPGQ+6GH, Ambagarh Chowki, Chhattisgarh 491665, India
Lat 20.775475°
Long 80.739366°
05/09/23 12:05 PM GMT +05:30
Google

शासकीय लाल चक्रधर शाह महा
अम्बागढ़ चौकी
यूथ
रेड रिबन क्लब

शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी
जिला-मोहला-मानपुर- अम्बागढ़ चौकी (छत्तीसगढ़) स्थापना वर्ष-1970
बजाज फाईनेंस कप
शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्याल
अं.चौकी,जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)
विश्व एड्स दिवस
1 दिसम्बर 2023
एड्स की जानकारी ही उपाय है

वाषिकोत्सव एवं पदक वितरण समारोह

शैक्षणिक भ्रमण

जंगल सफारी
प्राणी शास्त्र विभाग
Mar 11, 2023, 13:37

स्वच्छ बस्तर
शासकीय लाल चक्रधर शाह स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी
जिला- मोहला-मानपुर-अं. चौकी (छ.ग.)
सत्र 2023-24
B+
NAAC
शैक्षणिक भ्रमण
राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र- विभाग
आपका हार्दिक अभिनंदन करता है...

शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय
अंबागढ़ चौकी
वनस्पति शास्त्र विभाग
आपका हार्दिक अभिनंदन करता है
शैक्षणिक भ्रमण (बस्तर)
दिनांक 26/02/24 से 28.02.2024

खेलकूद एवं योगा

GPS Map Camera
Rajnandgaon, Chhattisgarh, India
H No. 194, Ward 10, Chilhati, Ambagath Chowki, Chhattisgarh 491665, India
Lat 20.774534°
Long 80.733395°
21/06/23 07:59 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Ambagarh Chowki, Chhattisgarh, India
QPGQ+6GH, Ambagarh Chowki, Chhattisgarh 491665, India
Lat 20.775436°
Long 80.738899°
04/12/23 11:01 AM GMT +05:30
Google

एन. सी. सी. दिवस

शिक्षक पालक बैठक

भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मेलन

महाविद्यालयीन सुविधायें

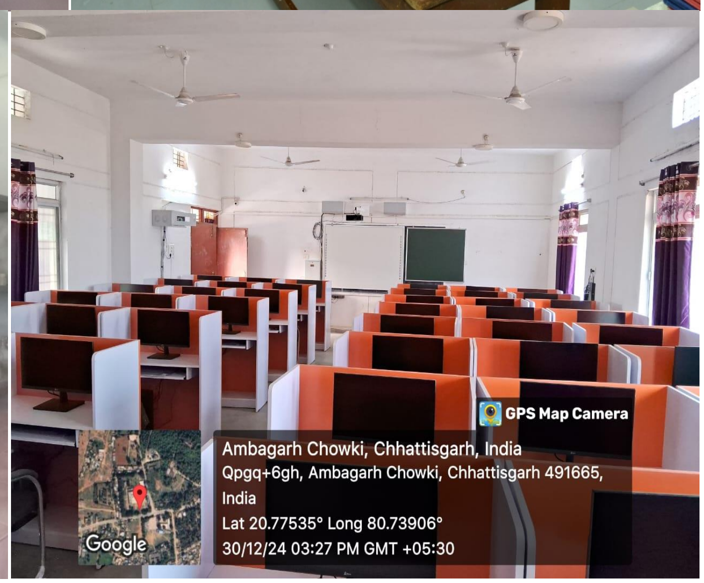

GPS Map Camera
Ambagarh Chowki, Chhattisgarh, India
QPGQ+6GH, Ambagarh Chowki, Chhattisgarh 491665, India
Lat 20.77558°
Long 80.738408°
11/12/23 11:15 AM GMT +05:30
Google

REDMI NOTE 11 | JHAMMAN SAHU
25/06/2024 16:26